


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री वीरबल सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलौदा जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राउमावि कोजा, धोरीमन्ना जिला बाड़मेर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री वीरबल सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 636/2021 वीरबल सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 636/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 28.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री वीरबल सिंह के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक 4 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री वीरबल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलौदा जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन कार्यरत रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित प्रधानाचार्य श्री कन्हैयालाल को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारी तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करें।


  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/वीरबल सिंह/636/2021 दिनांक: 09.02.2021  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाड़मेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झुन्झुनूं/बाड़मेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)